न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/152 **दायरा दिनांक : 03.09.2024**

उनवान

सुगन चन्द आत्मज श्री अमरलाल, जाति जाटव, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज श्री किशनलाल जी
2. कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जी
3. हुकमचन्द पुत्र श्री किशनलाल जी
   जातियान जाटव, निवासीगण ग्राम महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां
4. राधेश्याम पुत्र श्री शंकरलाल, जाति बैरवा, निवासी चांचोड, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अशोक चौधरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 02.07.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या – 169/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के पूर्वज भूरा पुत्र फुन्दी कौम चमार, निवासी महेशपुरा के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 46 रकबा 06 बीघा वाके माल ग्राम हनुवतखेडा चांचोड, तहसील छबडा, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 से

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वादी का वाद एवं प्रतिवादी कम 3 का काउंटर क्लेम खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट मे यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री जेर अपील कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदारी खारिज करने में त्रुटि की है। वादी द्वारा अपनी साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुये निर्णय एवं डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के पूर्वज भूरा पुत्र फून्दी, कौम चमार, निवासी महेशपुरा के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 46 रकबा 06 बीघा वाके माल हनुवतखेडा चांचोड, तहसील छबडा, जिला बाँरा राज० मे स्थित है। वादी द्वारा अपने वाद में फून्दीलाल की वंशावली प्रस्तुत की है उक्त वंशावली के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य हैं तथा विवादग्रस्त आराजी पेतृक आराजी है, जिसमें वादी कम 1/2 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा है। विवादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट के पिता अमरलाल व प्रतिवादीगण के दादा भूरालाल दोनों सगे भाई थे जो जीवन पर्यन्त संयुक्त परिवार मे रहकर विवादग्रस्त आराजी को संयुक्त काश्त करके अपने परिवार का भरण पोषण करते रहे। विवादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट अपने पिता अमरलाल एवं दादा जी फून्दीलाल के जीवनकाल से करीब 150 वर्षो से काबिज है एवं काश्त करता चले आ रहे हैं उक्त आराजी खसरा सं० 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा के 1/2 हिस्से करीब 04 बीघा पर वादी अपीलान्ट पूर्वी दिशा की और पेत्रिक आराजी होने से आज भी बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से उक्त आराजी के संबंध में मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा करके खसरा नं. 38 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा आराजी में से 04 बीघा कृषि आराजी वादी के स्वामित्व एवं कब्जे की होना स्वीकार करके प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने प्रतिवादी कम 3 की सहमति से वादी के पक्ष में दिनांक 25–10–2004 को शपथ पत्र निष्पादित कर शपथ आयुक्त से तस्दीक करवाकर वादी को दिया है तथा प्रतिवादी ने स्वेच्छा से उक्त आराजी पर वादी का हिस्सा होना व कब्जा होना स्वीकार करके वादी अपीलान्ट के पक्ष में शपथ पत्र तस्दीक करवा कर दिया है। वादी अपीलान्ट उक्त आराजी को काफी वर्षों से निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी नं. 3 जो कि तहसील मे पटवारी था ने अपने पद का फायदा उठाकर वादी को उसके अधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वादी एवं वादी के भाई छीतरलाल का नाम राजस्व अभिलेख में प्रविष्टी नहीं की तथा समस्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के नाम खाते दर्ज कर ली तथा फौती नामान्तकरण अपने नाम द्वर्ज कर अपने तीनों भाइयों के नाम उक्त आराजी को गलत रूप से दर्ज खाता कर लिया। जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है। प्रतिवादी नं.

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3 द्वारा राजस्व अभिलेख में फौती नामान्तरकरण खोलते समय मात्र प्रतिवादी नं. 1 ता 3 का नाम दर्ज कर राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अपना नाम दर्ज कर लिया तथा वादी को पारिवारिक बंटवारे मे प्राप्त आराजी को गुपचुप तरीके से प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने उक्त आराजी को प्रतिवादी नं. 4 को बेचान कर दिया है जो नल एण्ड वोईड है तथा वादी के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य है। प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने खसरा नं. 38 की वादी को बंटवारे में दी हुई आराजी 04 बीघा जो करीब 1/2 हिस्सा से अधिक है वादी को सुपुर्द की थी उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं. 1 व 2 के खाते दर्ज होने का फायदा उठाते हुये अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी नं. 4 को उक्त आराजी का बेचान कर दिया है उक्त आराजी पेत्रिक आराजी होने से उसके वादी का समान हक व हिस्सा निहित होने से प्रतिवादी नं. 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी नं. 4 के पक्ष में किया गया बेचान नल एण्ड वोईड एवं प्रभावशून्य होने से प्रतिवादी नं. 4 को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। उपरोक्त आराजी पर वादी के पूर्वज व उनके बाद वादी का निरन्तर कब्जा गत 150 वर्षो से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा कब्जा मुखालफाना के आधार भी वादी उक्त आराजी का खातेदार हो गया है तथा वादी उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 ता 3 का कब्जा काश्त नहीं होने से से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है। प्रतिवादी को उक्त आराजी पर वादी का कब्जा काश्त होने की जानकारी होते हुये तथा वादी का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मानने व शपथ पत्र आलेखित करवाने के उपरान्त भी दिनांक 23–09–2014 को गलत रूप से प्रतिवादी नं. 4 को उक्त आराजी का बेचान किया गया है। जो हर प्रकार से वादी के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य है। वादी अपीलान्ट द्वारा अपने कथनों को अपनी साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित किया गया है इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट वादी की साक्ष्य पर गौर नहीं करके मात्र राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी के नाम होने के तथ्य को मानकर तथा उनके द्वारा किये गये अवैध बेचान को आधार मानकर वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद निरस्त करने में त्रुटि की है। वादी वाद में वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण रूप से अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा प्रस्तुत स्वीकार की जाकर निर्णय एवं डिक्री जेर अपील निरस्त किया जावे तथा वादी अपीलान्ट का वाद स्वीकार, वाद डिक्री किया जाकर वादी को वाद पत्र का खातेदार घोषित किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री न्याय के नैर्सिगिक सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है, तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा खातेदारी खारिज करने मे त्रुटि की है, वादी अपीलांट द्वारा अपनी साक्ष्य एवं दस्तोवजी साक्ष्य से अपना वाद पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए निर्णय एवं डिक्री जरिये अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है।

वादी अपीलांट, प्रतिवादी रेस्पो. नं. 1 ता 3 के पूर्वज भूरा पुत्र फूंदीलाल कोम चमार, निवासी महेशपुरा के खातेदारी की आराजी खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 46 की रकबा 6 बीघा वाके माल हनुवतखेडा चांचोड, तहसील खेडा, जिला बांरा राज. में स्थित है, जिसकी नकल जमाबंदी अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गयी है, वादी अपीलांट द्वारा अपने वाद मे फूंदीलाल की वंशावली प्रस्तुत की है, उक्त वंशावली के अनुसार वादी अपीलांट एवं रेस्पो. प्रतिवादी कम 1 ता 3 संयुक्त परिवाद के सदस्य है, तथा विवादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है, जिसमे वादी अपीलांट का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 का 1/2 हिस्सा है, विवादग्रस्त आराजी वादी अपीलांट के पिता अमरलाल व प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के दादा भूरालाल जी दोनों सगे भाई थे, जो जीवन पर्यन्त संयुक्त परिवार मे रहकर विवादग्रस्त आराजी को संयुक्त काश्त करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है।

विवादग्रस्त आराजी मे वादी अपीलांट अपने पिता अमरलाल एवं दादा फूंदीलाल के जीवनकाल से करीब 150 वर्षो से काबिज है, एवं काश्त करता चला आ रहा है, उक्त आराजी खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से करीब 4 बीघा पर वादी अपीलांट पूर्वी दिशा की ओर पेत्रिक आराजी होने से आज भी बहैसियत खातेदार काबिज़ काश्त चला आ रहा है।

वादी अपीलांट एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के मध्य आपसी सहमति से उक्त आराजी के संबंध मे मौखिक रूप से पारिवारिक बंटवारा करके खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से 4 बीघा कृषि आराजी वादी अपीलांट के स्वामित्व एवं कब्जे की होना स्वीकार करके प्रतिवादी कम 1 व 2 ने प्रतिवादी कम 3 की सहमति से वादी अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 25.10.2004 को शपथ पत्र निष्पादित कर शपथ आयुक्त से तस्दीक करवाकर वादी उक्त आराजी पर काफी वर्षो से निरंतर काश्त करता चला आ रहा है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रतिवादी कम 3 जो कि तहसील में पटवारी था ने अपने पद का फायदा उठाकर अपीलांट को उसके अधिकारों से वंचित करने के उदेश्य से अपीलांट एवं उसके भाई छीतरलाल के नाम की राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि नहीं की तथा समस्त आराजी प्रतिवादी नं. 1 लगायत 3 के नाम खाते दर्ज कर ली तथा फोती नामांतरण अपने नाम दर्ज कर अपने तीनो भाइयों के नाम उक्त आराजी को गलत रूप से दर्ज खाता कर लिया जो हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है, प्रतिवादी कम 3 द्वारा राजस्व अभिलेख मे फोती नामांतरण खोलते समय मात्र प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम दर्ज कर राजस्व अभिलेख मे अपना नाम दर्ज कर लिया तथा अपीलांट को पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त आराजी को गुपचुप तरीके से प्रतिवादी कम 1 व 2 ने उक्त आराजी को प्रतिवादी कम 4 को बेचान कर दिया है, जो नल एण्ड वोईड है, तथा अपीलांट के अधिकारों के प्रति प्रभावशुन्य है।

प्रतिवादी कम 1 व 2 ने खसरा नं. 38 की वादी अपीलांट के बंटवारे में दी हुई आराजी 4 बीघा जो करीब 1/2 हिस्से से अधिक है, अपीलांट को सुर्पुद की थी उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी कम 1 व 2 के खाते दर्ज होने का फायदा उठाते हुए अवैध रूप से बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी कम 4 को उक्त आराजी का बेचान कर दिया है, उक्त आराजी पेत्रिक आराजी होने से उसके वादी का समान हक व हिस्सा निहित होने से प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी कम 4 के पक्ष में किया गया बेचान नल एण्ड वाईड एवं प्रभावशुन्य होने से प्रतिवादी कम 4 को उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है।

उपरोक्त आराजी पर वादी अपीलांट के पूर्वज उनके बाद वादी अपीलांट का निरंतर कब्जा गत 150 वर्षों से निरंतर काबिल काश्त चला आ रहा है व कब्जा मुखालफाना के आधार भी अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार हो गया है, तथा अपीलांट उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है उक्त आराजी पर प्रतिवादी कम 1 ता 3 का कब्जा काश्त नहीं होने से उनके खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके हैं।

प्रतिवादी को उक्त आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने की जानकारी होते हुए तथा अपीलांट का उक्त आराजी में 1/2 हिस्सा मानने व शपथ पत्र आलेखित करवाने के उपरांत भी दिनांक 23.09.2014 को गलत रूप से प्रतिवादी कम 4 को उक्त आराजी का बेचान गया है, जो हर प्रकार से वादी के अधिकारों के प्रति प्रभावशुन्य है।

बाबूलाल, कन्हैयालाल जाटव, निवासी महेशपुरा द्वारा अदालत के शपथ पत्र में अपने बयानों में लिखा है कि खसरा नं. 38 की रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा जमीन में से 4 बीघा जमीन श्री सुगनचंद को पारिवारिक बंटवारा में आयी है, और सदैव से 4

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बीघा जमीन पर इनका कब्जा है, और काश्त करते चले आ रहे हैं, स्वयं दोनों भाइयों ने अपने शपथ पत्र मे लिखा रखा है इसके बाद भी इनके द्वारा श्री सुगनचंद जी के हिस्से की जमीन धोखाधडी से बेचान कर दी।

बाबूलाल, कन्हैयालाल निवासी महेशपुरा एस डी एम कोर्ट छबडा में अपने बयानो व शपथ पत्रो में लिखा है कि हमारे द्वारा खसरा नं. 38 की राधेश्याम पुत्र शंकरलाल बैरवा निवासी चाचोड को कोई जमीन नही बेची गयी है, ओर ना ही कोई राशि प्राप्त की है। जबकि इनके द्वारा राधेश्याम पुत्र श्री शंकरलाल बैरवा निवासी चाचौड को जमीन बेची है, और राशि प्राप्त की है, जिसकी रजिस्ट्री की फोटो कोपी न्यायालय में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गयी है. इन दोनो के द्वारा गलत बयान देकर न्यायालय को गुमराह किया गया है, श्रीमान एस डी ओ साहब ने इनके द्वारा दिये गये झूठे व गलत बयानो को नजरअंदाज करके फेसला दिया गया है, जो कि सरासर गलत एवं न्याय संगत नही है। बाबूलाल, कन्हैयालाल निवासी मेहरापुरा द्वारा एस डी एम कोर्ट मे अपने बयानों मे लिखा है कि हमारे द्वारा राधेश्याम पुत्र शंकरलाल बैरवा निवासी चाचौड को खसरा नं. 38 की रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा की कोई जमीन नही बेची गई है, ओर ना ही कोई राशि प्राप्त की है, जबकि मेरे द्वारा राधेश्याम पुत्र शंकरलाल बैरवा निवासी चाचौड को बेची गयी जमीन की रजिस्ट्री ओर इनके द्वारा राशि प्राप्त की है, उसकी कोपी अपील में मौजूद है, इस कारण बाबूलाल, कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जाटव निवासी महेशपुरा द्वारा एस डी ओ कोर्ट छबडा में शपथ पत्र में अपने बयान दिये गये है। इन दोनो के गलत झूठे एवं गलत बयान देकर न्यायालय को गुमराह किया गया है। अपीलांट वादी द्वारा अपने कथनो को अपनी साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रमाणित किया गया है, इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादी की साक्ष्य पर गौर नही करके मात्र राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी के नाम होने के तथ्य को मानकर तथा उनके द्वारा किये गये अवैध बेचान को आधार मानकर अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत वाद को निरस्त करने मे कानूनी त्रुटि की है। न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त कर वाद पत्र मे वर्णित आराजी का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 1.7.2024 को अपास्त कर वाद पत्र में वर्णित आराजी का वादी अपीलांट को खातेदार घोषित किये जाने का आदेश प्रदान करे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में बाबूलाल व कन्हैया लाल ने 2/3 हिस्सा राधेश्याम को दिनांक 29.08.204 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादी नं. 3 का काउंटर क्लेम है। अपीलांट ने काउंटर क्लेम की अपील पेश नहीं की है अतः अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे. (27) 2020 पेज 698 की नजीर उद्धरत की।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार वादी/अपीलांट ने विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम हनुवंतखेडा चाचोड की आराजी खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 46 रकबा 6 बीघा आराजी के सन्दर्भ में वाद प्रस्तुत कर खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित करने एवं वादी के हिस्से तक प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी कम 4 के पक्ष में किये गये बेचान को नल एण्ड वोईड घोषित करने तथा प्रतिवादी कम 4 को विक्रय विलेख के आधार पर वादी के कब्जे काश्त व स्वामित्व की 04 बीघा आराजी के पूर्वी हिस्से पर किसी तरह से वादी को बेदखल नहीं करें और वादी के कब्जे काश्त में किसी भी तरह से मदालखत नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का अनुतोष चाहा है। इसी प्रकार दिनांक 25.03.2014 के विक्रय विलेख के आधार पर राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं करने एवं राजस्व रिकार्ड को यथावत बनाये रखने हेतु प्रतिवादी कम 5 को पाबन्द करने का अनुतोष भी चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवायी उभयपक्ष अपने निर्णय दिनांक 01.07.2024 से वादी का वाद एवं प्रतिवादी कम 3 का काउंटर क्लेम खारिज कर प्रतिवादी कम 4 का काउंटर क्लेम स्वीकार करते हुए प्रतिवादी कम 4 को ग्राम हनुवतखेडा, तहसील छबडा की आराजी खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 46 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा में हिस्सा 2/3 पर खातेदार कृषक घोषित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 ग्राम हनुवतखेडा चांचोड प्रदर्श–पी 1 के अनुसार खसरा नं. 38, 46 कुल किता 2 कुल रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा आराजी जमाबंदी के कॉलम सं. 4 के अनुसार उपभोक्ता के नाम में भूरा वल्द कुंदी, कौम चमार, साकिन देह महेशपुरा का नाम अंकित है। नकल जमाबंदी ग्राम हनुवतखेडा संवत 2070–2073 प्रदर्श–पी 6 के अनुसार खसरा नं. 38 व 46 की 13 बीघा 9 बिस्वा आराजी बाबू, हुकमचन्द, कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। नकल विक्रय पत्र दिनांक 23.09.2014 प्रदर्श–पी 4 के अनुसार विवादित आराजी के खातेदार बाबू एवं कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल द्वारा खसरा नं. 38 व 46 की 13 बीघा 9 बिस्वा आराजी में से अपना 2/3 हिस्सा प्रतिवादी कम 4 राधेश्याम पुत्र शंकरलाल, जाति बैरवा को बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाया गया है। नकल निर्णय दिनांक 08.04.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा प्रदर्श डी 1 के अनुसार हुकमचन्द आत्मज

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

किशन लाल द्वारा सुगन आत्मज अमरलाल व चमेलीबाई पत्नी सुगन के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण संख्या 260/2004 अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.04.2009 से स्वीकार कर प्रतिवादी सुगन व चमेलीबाई को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया है कि वाके ग्राम हनुवतखेडा, तहसील छबडा की भूमि खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा एवं खसरा नं. 46 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 रकबा 13 बीघा 9 बिस्वा में वादी हुकमचन्द को शांतिपूर्वक काश्त करने दे और खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में जबरन कब्जा करने का प्रयास न करें।

अपीलांट सुगन चन्द ने अपने वादपत्र को साबित करने हेतु छीतरलाल आत्मज अमरलाल, बाबूलाल, कन्हैया लाल आत्मज किशनलाल के शपथपत्रों की फोटो प्रतियां पेश की हैं, जो साक्ष्य में विधिक रूप से पठनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि खसरा नं. 38 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा आराजी अपीलांट के खातेदारी में दर्ज रही हो या अपीलांट का कब्जा काश्त रहा हो। इसी प्रकार अपीलांट ऐसा भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है, जिससे विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति साबित हो सके। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न जमाबंदी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 व जमाबंदी संवत 2070–2073 के अनुसार पूर्व में विवादित आराजी प्रतिवादी कम 1 ता 3 के दादा भूरा के खातेदारी में थी तथा बाद में प्रतिवादी कम 1 ता 3 के शामलाती खाते में दर्ज हुई। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2070–73 प्रदर्श डी 7 के अनुसार प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना साबित है। प्रतिवादी कम 4 ने विवादित आराजी के सहखातेदार प्रतिवादी कम 1 व 2 से उनके हिस्से की 2/3 आराजी जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.09.2014 से कय की है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी कम 4 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया है। वादी अपीलांट वादपत्र में अंकित अपने कथनों को साबित करने में असफल रहे हैं, अतः अपील के इस स्तर पर हम अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

02/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

सुगन चन्द आत्मज श्री अमरलाल, जाति जाटव, निवासी ग्राम महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां

.... **अपीलांट**

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज श्री किशनलाल जी
2. कन्हैयालाल पुत्र किशनलाल जी
3. हुकमचन्द पुत्र श्री किशनलाल जी
   जातियान जाटव, निवासीगण ग्राम महेशपुरा, तहसील छबडा, जिला बारां
4. राधेश्याम पुत्र श्री शंकरलाल, जाति बैरवा, निवासी चांचोड, तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

अपील नं **2024 / 152**
मु.द.नं0 **169 / 2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, छबडा**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **01.07.2024**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **11 माह 06** सन् **2025**

श्री **अशोक चौधरी** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री **बृजराज सिंह चौहान** अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 4 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.07.2024 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **02 माह 07 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)